

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, इटावा।

पत्रांक 2940 / पं०-7 / स्व०मा०मि०ग्रा० / एफ०एस०एम० / 2025-26

दिनांक/4-11-2025

समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०),
जनपद-इटावा।

विषय-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हांकन कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या-5/555/2025-26/02/2022 दिनांक-18.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-एस-18/7/2025-SBM-III-DDWs दिनांक 20 मार्च 2025 के क्रम में अवगत कराया गया है कि दिनांक 10 मार्च 2025 को भारत सरकार के साथ सम्पन्न बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालनार्थ FSM हेतु योजना बनाया जाना एवं लागू किया जाना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये Manual Faecal sludge Management-2021 में उल्लेखित व्यवस्थाओं के आधार पर भूमि चयन एवं अन्य कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2025-26 में फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु 150 इकाई स्वीकृत है, जिसकी स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार प्रति जनपद 02 इकाई का निर्माण कराया जाना है। ऐसे जनपद जहां नगर विकास विभाग द्वारा एफ०एस०टी०पी०/एस०टी०पी०, को-ट्रीटमेन्ट इकाई की स्थापना नहीं है, ऐसे जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर इकाई का निर्माण कराया जायेगा।

वार्षिक कार्ययोजनानुसार फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु जनपद में कम से कम 02 स्थल चिन्हित किये जाने आवश्यक हैं। FSTP निर्माण में स्थल का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बिन्दुओं का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है-

1. पर्याप्त भूमि उपलब्धता।

✓ FSTP की क्षमता के अनुरूप भूमि की उपलब्धता।

✓ सामान्यतः 6-10 KLD FSTP के लिए प्रति इकाई लगभग 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता।

✓ जनपद में ऐसी स्थल/भूमि का चयन किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक विकास खण्डों के ग्रामों को आच्छादित किया जा सके, जिनकी प्रस्तावित FSTP से अधिकतम दूरी 15 Km एवं पहुँच मार्ग सुगम हो।

2. भू-जल स्तर एवं भूमि का प्रकार।

✓ जलभराव रहित, समतल और टोस भूमि होनी चाहिए।

✓ भूमि ऐसी हो जहाँ भूजल स्तर अधिक ऊँचा न हो ताकि प्रदूषण की संभावना से बचा जा सके।

3. लोकेशन (लोकेशन)।

✓ नगरीय या ग्रामीण आबादी से न्यूनतम 250-500 मीटर की दूरी।

✓ रिहायशी क्षेत्र से पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी है ताकि दुर्गंध, शोर या संक्रमण की समस्या न हो।

4. पहुँच मार्ग (Accessibility)

✓ स्थल तक टैंकर्स की आवागमन के लिए उपयुक्त सड़क मार्ग हो।

✓ पूरे वर्ष सड़क सुगम और उपयोग में रहने योग्य हो।

5. जल निकासी एवं वर्षा जल प्रबंधन।

✓ उचित जल निकासी (drainage) की व्यवस्था।

✓ वर्षा जल के निकास की समुचित व्यवस्था।

6. पर्यावरणीय स्वीकृति और नियम।

✓ भूमि पर कोई पर्यावरणीय प्रतिबंध न हो (जैसे-वन क्षेत्र, जलाशय, नदी तट आदि)।

✓ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन के अनुरूप।

✓ स्थानीय समुदाय की सहमति।

✓ भूमि चयन से पहले ग्राम पंचायत/नगर निकाय और समुदाय से परामर्श आवश्यक।

✓ सामाजिक स्वीकृति से प्रोजेक्ट की स्थिरता सुनिश्चित होती है।

आबादी से दूरी, जलभराव की स्थिति, जलाशय से निश्चित दूरी आदि (According to SWM Rule 2016) का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

7. भूमि का स्वामित्व।

✓ सार्वजनिक भूमि को प्राथमिकता दें, ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो

✓ यदि निजी भूमि ली जाए, तो स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज और सहमति आवश्यक है।

8. निकटवर्ती संसाधनों की उपलब्धता।

- ✓ बिजली, पानी और अन्य आवश्यक संसाधन स्थल के समीप हों।
- ✓ प्लांट के संचालन में 30 किलोवाट से अधिक बिजली एवं 05 किलो ली0 से अधिक पानी की आवश्यकता होगी इसलिये चयनित की जाने वाली भूमि, बिजली एवं जल स्रोत के निकट की जानी होगी।
- ✓ भूमि के चयन में कैचमेंट एरिया (जिन ग्राम पंचायतों में सेप्टिक टैंक अधिक संख्या में हैं) की निकटता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (कम से कम 3000 सेप्टिक टैंक)
- ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या वर्मी कम्पोस्ट इकाई से निकटता लाभकारी हो सकती है।

9. भविष्य में विस्तार की संभावना।

- ✓ भविष्य में बढ़ती आवश्यकता के अनुसार प्लांट के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए।

10. नगर विकास विभाग द्वारा निर्मित एफ०एस०टी०पी०/एस०टी०पी०, को-ट्रीटमेन्ट इकाई की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भूमि का चिन्हांकन किया जाना उचित होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत एक यूनिट फिकल स्लज मैनेजमेंट इकाई की स्थापना हेतु एक एकड़ भूमि उपरोक्त बिन्दुवार दी गयी व्यवस्था के अनुसार विकास खण्ड की किसी एक ग्राम पंचायत से उपयुक्त स्थल/भूमि का चयन कर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(बनवारी सिंह) 11/11/2025
जिला पंचायत राज अधिकारी
इटावा।

पत्रांक / तददिनांकित्।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय इटावा की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय इटावा की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद इटावा।

जिला पंचायत राज अधिकारी
इटावा।